

निदेशक, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा। यदि कर्मचारी निःशक्तजन कोटे में नियुक्त नहीं हुआ है तो उसे प्रार्थनापत्र के साथ **सक्षम अधिकारी/मेडीकल बोर्ड** द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

12. इस नीति के विपरीत नहीं होने पर **लोकेशन (जिला/उपखण्ड/तहसील) परिवर्तन होने वाले मामलों** में परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण (Mutual Transfers) किये जा सकेंगे।
13. किसी कार्यालय में लेखाकर्मों के स्वीकृत पद की समाप्ति, क्रमोन्नत/क्रमावन्त होने पर, आदेशों की प्रतीक्षारत होने पर अथवा किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश की पालना में लेखाकर्मों के आदेशों की प्रतीक्षा में होने पर निदेशालय, कोष एवं लेखा अथवा उनके द्वारा निर्धारित अन्य कार्यालयों में **उपस्थिति देने की तिथि से 10 दिवसों में ऐसे कर्मचारी को निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।**
14. **अनुशासनहीनता** अथवा **शिकायत के कारण** विभाग द्वारा रिलीव किये गये लेखाकर्मों के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
15. वांछित पद रिक्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाना नीति के विपरीत न हो।
16. इस नीति के अंतर्गत समायोजित न होने वाले **आवेदन एवं अनुशासकों** पर क्रियाविवृति से पूर्व **माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन** प्राप्त किया जावेगा।

इस वर्ष 2009-10 के दौरान स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न विशेष बिन्दुओं की भी पालना अपेक्षित है-

1. **दिनांक 01.01.2009** को जारी पदोन्नति एवं स्थानांतरण आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी एवं इसमें **किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं** किया जावेगा।
2. उन क्रिटिकल जिलों (जैसे-बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाडा, झुंजरपुर, बारां एवं झालावाड़ आदि), जिनमें लेखाकर्मियों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं, में से **जिले के बाहर स्थानांतरण यथासंभव नहीं** किये जायेंगे। यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ऐसे जिलों में जिले के अन्दर स्थानान्तरण करते समय भी किसी एक स्थान पर सभी पद रिक्त न हो जायें।

(एस.एस. राजावत)
उप शासन सचिव

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय)।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी (समस्त अनुभाग) वित्त विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव